



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 05.01.2023

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 06/03/2017 को थाना मझगवां जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/17 धारा- 306 आईपीसी में नामजद अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र राधाचरण निवासी गौहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।